27

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक : 457-तीन/2007 - विरूद्ध आदेश दिनांक 6 जनवरी, 2007 - पारित द्वारा - बंदोवस्त आयुक्त, म0प्र0 ग्वालियर - प्रकरण कमांक 83/1995-96 अपील

1- शिवलाल 2- भैयाराम 3- लोकनाथ
4- शोभनाथ पुत्रगण जगेश्वर निवासी ग्राम
कुल्हुई तहसील सिंगरोली जिला सीधी
5- रामधनी 6- लालबहादुर पुत्रगण रामाधार
निवासी ग्राम सखौहा तहसील
सिंगरोली जिला सीधी, मध्य प्रदेश ---आवेदकगण

विरूद्ध

1- शिवगुलाम 2- लक्षनधारी पुत्रगण रघुवीर
ग्राम कुल्हुई तहसील सिंगरोली जिला सीधी
3- सुमरिया पुत्री रघुवीर ग्राम कतौली
तहसील सिंगरोली जिला सीधी
4- धनउआ पुत्री रघुवीर ग्राम शासन तहसील सिंगरोली
5- सोनिया पुत्र रघुवीर ग्राम जरहा तहसील सिंगरोली
6- विरझाउ पुत्री रघुवीर ग्राम रजमिलान तहसील सिंगरोली
7- मटुकलाल 8- हीरालाल 9- छोटेलाल 10- भागीरथ
पुत्रगण रूपचंद
11-लल्लूप्रसाद पुत्र रामचन्द्र सभी ग्राम कुल्हुई
तहसील सिंगरोली जिला सीधी
11-सरनाम 13- नेगुल 14- जैराम
15- मनसूरत 16- शेखलाल पुत्रगण शिवबहोर
सभी निवासी ग्राम कुल्हुई तहसील सिंगरोली जिला सीधी ----अनावेदकगण

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री एस0के0अवस्थी)
(अनावेदकगण सूचना उपरांत अनुपस्थित - एकपक्षीय)

आ दे श

(आज दिनांक 03- 11 -2017 को पारित)

यह निगरानी बंदोवस्त आयुक्त, म0प्र0 ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 83/1995-96 अपील में पारित आदेश दिनांक 06 जनवरी, 2007 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि बंदोवस्त कार्यवाही के दौरान सहायक बंदोवस्त अधिकारी दल क्र-1 सीधी ने ग्राम कुल्हुई स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 722,709, 707, 719,720, 721, 723, 734, 737, 738, 619, 621, 622, 624, 645, 275, 540, 541, 620 का बटवारा पक्षकारों के बीच कर दिया। बटवारा आदेश के विरूद्ध बंदोवस्त अधिकारी सीधी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। बंदोवस्त अधिकारी सीधी ने प्रकरण क्रमांक 165/1990-91 अपील में पारित आदेश दिनांक 26-8-1992 से अपील स्वीकार कर सहायक बंदोवस्त अधिकारी सीधी द्वारा परिवर्तन सूची पर किया गया बटवारा निरस्त कर दिया । इस आदेश के विरूद्ध बंदोवस्त आयुक्त, म0प्र0 ग्वालियर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। बंदोवस्त आयुक्त, म0प्र0 ग्वालियर ने प्रकरण क्रमांक 83/1995-96 अपील में पारित आदेश दिनांक 6-1-2007 से अपील निरस्त कर दी। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदकगण के अभिभाषक के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनावेदकगण सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय है।

4/ आवेदकगण के अभिभाषक का तर्क है कि आवेदकगण एंव अनावेदकगण एक ही परिवार के सदस्य होकर कुटुम्बी है भूमि सामिलाती रही है जिसका बटवारा हिस्सों के अनुपात में किया गया है जो पूर्वजों के बीच मौखिक

विभाजन अनुसार था। बटवारा पारिवारिक सहमति से व्यवस्था बनाये रखने एंव भविष्य में कोई विवाद न हो, इस कारण आपस में मिलकर सहमति देकर परिवर्तन पंजी पर कराया है एंव सभी ने सहमति दी है जिसके कारण बंदोवस्त अधिकारी सीधी के यहां अपील प्रचलन-योग्य भी नहीं थी, किन्तु बिना सूचना दिये फर्जी तरीके से साँठगाँठ करके बंदोवस्त अधिकारी सीधी से विधिवत बटवारे को निरस्त कराया गया है जिस पर बंदोवस्त आयुक्त ने भी ध्यान न देने में भूल की है। उन्होंने निगरानी स्वीकार करने एंव सहायक बंदोवस्त अधिकारी द्वारा बटवारे को यथावत् रखे जाने की मांग रखी।

5/ आवेदकगण के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि बंदोवस्त अधिकारी सीधी ने दिनांक 26-8-1992 में इस प्रकार उल्लेख किया है :-

" अपील मेमो की प्रतिलिपि उत्तरवादीगणों को नोटिस के साथ भेजी गई। उन्हें नोटिस तामील भी हुई किन्तु उन्होंने न्यायालय में उपस्थित होकर अपील मेमो का खण्डन नहीं किया। अतएव उनके विरुद्ध एकपक्षीय आदेश पारित करने का निर्णय लिया गया। अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 178 म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959 के अंतर्गत बने नियमों का पालन किये बिना ही विवादित भूमि का बटवारा किया गया है जो अवैध है। बटवारे के लिये किसी पक्ष द्वारा कोई आवेदन पत्र नहीं दिया गया । उत्तरवादीगण विवादित भूमि के सहखातेदार भी नहीं है केवल अपीलार्थीगण ही सहखातेदार हैं ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का किया गया बटवारा अवैध है। "

इसी सम्बन्ध में बंदोवस्त आयुक्त, मध्य प्रदेश ग्वालियर ने आदेश दिनांक 6-1-07 में निम्नानुसार निष्कर्ष दिया है :-

" अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण में पृष्ठ 21 पर संलग्न प्रारूप अधिकार अभिलेख फार्म क जो बंदोवस्त के दौरान प्रथम प्रकाशन के समय खातेदार को प्रदान की गई थी उसमें भूमिस्वामी के रूप में प्रतिप्रार्थी क-1 से 6 है। अपीलार्थी एंव अन्य का नाम शासकीय अभिलेख में अंकित नहीं है। संहिता की धारा 178 (1) के प्रावधानों के अनुसार यदि किसी खाते में एक से अधिक भूमिस्वामी हों तो कोई भूमिस्वामी उस खाते में के अपने अंश के विभाजन के लिये बटवारा हेतु आवेदन कर सकता है। अभिलेख में अंकित सह खातेदारों के द्वारा बटवारा के लिये आवेदन नहीं दिया गया है। "

जब अभिलिखित भूमिस्वामियों (Recorded land lords) ने बटवारे का आवेदन नहीं दिया है तब सहायक बंदोवस्त अधिकारी दल क्र-1 सीधी द्वारा की गई बटवारा कार्यवाही दूषित होना पाई गई, जिसके कारण बंदोवस्त अधिकारी सीधी ने प्रकरण क्रमांक 165/1990-91 अपील में पारित आदेश दिनांक 26-8-1992 से बटवारा निरस्त किया है और इन्हीं कारणों से बंदोवस्त आयुक्त, म0प्र0 ग्वालियर ने प्रकरण क्रमांक 83/1995-96 अपील में आदेश दिनांक 06 जनवरी, 2007 पारित करते समय बंदोवस्त अधिकारी सीधी के आदेश को हस्तक्षेप योग्य नहीं माना है। बंदोवस्त अधिकारी सीधी द्वारा आदेश दिनांक 26-8-92 में एंव बंदोवस्त आयुक्त, म0प्र0 ग्वालियर द्वारा आदेश दिनांक 6-1-07 में निकाले गये निष्कर्ष समवर्ती हैं जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में हस्तक्षेप की गुॅजायश नहीं हैं।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव बंदोवस्त आयुक्त, म0प्र0 ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक 83/1995-96 अपील में पारित आदेश दिनांक 06 जनवरी, 2007 विधिवत् होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर